रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-12032021-225836 CG-DL-E-12032021-225836

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 129] No. 129] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 11, 2021/फाल्गुन 20, 1942 NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 11, 2021/PHALGUNA 20, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली. 11 मार्च. 2021

सा.का.नि.170(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 200 और धारा 203 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2021 है।
- (2) आय-कर नियम, 1962 के परिशिष्ट 2 में,--
- (i) प्ररूप सं. 12खक के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

1553 GI/2021 (1)

"प्ररूप सं. 12खक

[नियम 26क (2)(ख) देखिए]

परिलब्धियों, अन्य उपांत फायदों या सुख सुविधाओं और वेतन के बदले में लाभों की, उनके मूल्य सहित, विशिष्टियां दर्शाने वाला विवरण

1.	नियोजक का नाम और पता :	
2.	कर कटौती खाता संख्यांक :	
3.	नियोजक की स्त्रोत पर कर कटौती निर्धारण रेंज :	
4.	कर्मचारी का नाम, पदनाम और स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक :	
5.	क्या कर्मचारी कंपनी में निदेशक है या उसका उसमें सारवान हित है :	
	(जहाँ नियोजक कंपनी है)	
6.	"वेतन" शीर्ष के अधीन कर्मचारी की आय :	
	(परिलब्धियों से भिन्न)	
7.	वित्तीय वर्ष :	
8.	परिलब्धियों का मूल्यांकन :	

0	ठ. पारलाब्धया का मूल्याकन : 										
豖.	परिलब्धियों की प्रकृति	नियमों के अनुसार परिलब्धि	कर्मचारी से वसूल की गई	कर से प्रभार्य परिलब्धिकी रकम							
सं.	(नियम 3 देखिए)	का मूल्य (रू.)	रकम यदि कोई हो (रू.)	स्तंभ (3) -							
				स्तंभ (4) –							
				(₹.)							
(1)		(2)	(3)	(4)							
1.	वास-सुविधा										
2.	कारें/अन्य आटोमोटिव										
3.	सफाईवाला, माली, चौकीदार और निजी										
	परिचर										
4.	गैस, विद्युत, जल										
5.	व्याज मुक्त या रियायती ऋण										
6.	अवकाश व्यय										
7.	मुफ्त या रियायती यात्रा										
8.	मुफ्त भोजन										
9.	मुफ्त शिक्षा										
10.	उपहार, वाउचर, आदि										
11.	क्रेडिट कार्ड व्यय										
12.	क्लब व्यय										
1	1	1		I							

13.	कर्मचारियों द्वारा स्थावर आस्तियों का प्रयोग			
14.	कर्मचारियों को आस्तियों का अंतरण			
15.	किसी अन्य फायदे/सुख सुविधा/सेवा/विशेषाधिकार का मूल्य			
16.	नियोजक द्वारा आबंटित या अंतरित स्टॉक विकल्प जो धारा 80झकग में निर्दिष्ट पात्र स्टार्टअप है			
17.	उपर स्तंभ 16 में ईएसओपी से भिन्न स्टॉक विकल्प (गैर अर्ह विकल्प)			
18.	धारा 17 (2) (vii) के अधीन कराधेय निधि और स्कीम में नियोजक द्वारा अभिदाय			
19.	धारा 17 (2) (vii) में निर्दिष्ट और धारा 17 (2) (viiक) के अधीन कराधेय निधि और स्कीम के प्रत्यय के शेष में ब्याज, लाभांश आदि के माध्यम से वार्षिक अभिवृद्धि			
20.	अन्य फायदे या सुख- सुविधाएं			
21.	परिलब्धियों का कुल मूल्य			
22.	धारा 17(3) के अनुसार वेतन के बदले में लाभों का कुल मूल्य			
	<u> </u>	L	<u> </u>	<u> </u>

(9) कर के ब्यौरे,-	
(क) धारा 192(1) के अधीन कर्मचारी के वेतन से काटा गया कर	
(ख) धारा 192(1क) के अधीन कर्मचारी की ओर से नियोजक द्वारा संदत्त कर	
(ग) संदत्त कुल कर	
(घ) सरकारी खजाने में संदाय की तारीख	

नियोजक द्वारा घोषणा

मैं	,	श्री		ਰ	ना पुत्र,	जो				(पदनाम)) के रूप मे	ां कार्य	कर रहा
हुं-	((नियोजक	का नाम)	की	ओर से	यह	घोषणा	करता	हुँ कि	ऊपर	दी गई	जानकारी	। लेखा	-बहियों,

दस्तावेजों और हमारे पास उपलब्ध अन्य सुसंगत अभिलेखों या जानकारी पर आधारित है और प्रत्येक ऐसी परिलब्धि के मूल्य के ब्यौरे धारा 17 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार हैं तथा यह कि ऐसी जानकारी सत्य और सही है ।

स्थान पूरा नाम

तारीख पदनाम

कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर।";

(ii) प्ररूप सं. 16 के भाग ख (उपाबंध) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"भाग ख (उपाबंध)

	"संदत्त वेतन और ३	अन्य आय	तथा कर क	टौती के ब्यौरे			
अ	क्या धारा 115 खकग के अधीन कराधान का विकल्प	चुना है	हां/नहीं				
1.	सकल वेतन						
(क)	धारा 17(1) के अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार वेतन	枣.					
(ख)	धारा 17(2) के अधीन परिलब्धियों का मूल्य (प्ररूप	枣.					
	सं. 12खक के अनुसार, जहां लागू हो)						
(ग)	धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले लाभ (प्ररूप	枣.					
	सं. 12 खक के अनुसार, जहां लागू हो)						
(ঘ)	कुल			₹.			
(ङ)	अन्य नियोजक(कों) से प्राप्त रिपोर्ट की गई वेतन की कुल रकम		枣.				
2.	घटाएं : धारा 10 के अधीन छूट की सीमा तक भत्ते						
(क)	धारा 10 (5) के अधीन यात्रा रियायत या सहायता		रू.				
(ख)	धारा 10 (10) के अधीन मृत्यु - सह – सेवानिवृत्ति उपदान		₹.				
(ग)	धारा 10 (10क) के अधीन पेंशन का संराशीकृत मूल्य		₹.				
(ঘ)	धारा 10 (10कक) के अधीन छुट्टी वेतन नकदीकरण के बराबर नकद		枣.				
(ङ)	धारा 10 (13क) के अधीन गृह किराया भत्ता		₹.				
(च)	धारा 10 के अधीन किसी अन्य छूट की रकम						
	खंड	枣.					
	खंड	枣.					
	खंड	枣.					
	खंड	を.					
	खंड	を.					
		枣.					
(छ)	धारा 10 के अधीन किसी अन्य छूट की कुल रकम		₹.				
(ज)	धारा 10 के अधीन दावा की गई छूट की कुल रकम			₹.			
	[2(क)+2(ख) +2(ग) +2(घ)+2(ङ) +2(च)						
	+2(ন্ত)]						
3.	वर्तमान नियोजक से प्राप्त वेतन की कुल			₹.			
	रकम[1(घ)-2(ज)]						
4.	घटाएं : धारा 16 के अधीन कटौतियां						

(क)	धारा 16 (iक) के अधीन मानक कटौती		रू.	
(ख)	धारा 16 (ii) के अधीन मनोरंजन भत्ता		枣.	
(ग)	धारा 16 (iii) के अधीन नियोजन पर कर		रू.	
5.	धारा 16 के अधीन कटौतियों की कुल रकम			₹.
	[4(क)+4(ख)+4(ग)]			
6.	शीर्ष "वेतन" के अधीन प्रभार्य आय [3+1(ङ)-5]			₹.
7.	जोडें : धारा 192 (2ख) के अनुसार कर्मचारी द्वारा वि	<u>.</u> पोर्ट की ग	<u>।</u> ई कोई अन्य	य आय
(क)	स्त्रोत पर कर कटौती के लिए आमंत्रित कर्मचारी		रू.	
	द्वारा रिपोर्ट की गई गृह संपत्ति से आय (या			
	अनुयोज्य हानि)			
(ख)	स्त्रोत पर कर कटौती के लिए आमंत्रित अन्य स्त्रोतों शीर्ष के अधीन आय		₹.	
8.	शाष के अधान आय कर्मचारी द्वारा रिपोर्ट की गई अन्य आय की कुल			₹.
0.	रकम [7(क)+7(ख)]			<i>«</i> .
9.				₹.
9.	सकल कुल आय (6+8) अध्याय 6क के अधीन कटौतियां			``
10.	अध्याय 0क क अधान कटातिया		सकल	कटौती योग्य रकम
			रकम	गलासा आग्य रचम
(क)	धारा 80ग के अधीन जीवन बीमा प्रीमियम,		रू.	₹.
	भविष्य निधि में अभिदायों आदि के संबंध में कटौती			
(ख)	धारा 80गगग के अधीन कतिपय पेंशन निधियों में		रू.	₹.
	अभिदाय के संबंध में कटौती			
(ग)	धारा 80गगघ (1) के अधीन पेंशन स्कीम में		₹.	रू.
(-)	करदाता द्वारा अभिदाय के संबंध में कटौती		 	<u>_</u>
(ঘ)	धारा 80ग, धारा 80गगग और धारा 80गगघ के		ゃ.	₹.
()	अधीन कुल कटौती		+_	
(ङ)	धारा 80गगघ (1ख) के अधीन अधिसूचित पेंशन स्कीम में संदत्त/जमा रकम के संबंध में कटौतियां		ゃ.	₹.
(च)	धारा 80गगगघ (2) के अधीन पेंशन स्कीम में		रू.	रू.
(')	नियोजक द्वारा अभिदाय के संबंध में कटौती			· ·
(छ)	धारा 80घ के अधीन स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के		रू.	₹.
	संबंध में कटौती			
(ज)	धारा 80ङ के अधीन उच्चतर शिक्षा हेतु लिए गए		ゃ.	₹.
	ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती	सकल	अर्हक	कटौती योग्य रकम
		सकल रकम	अहक रकम	गजासी भाग्य रगण
(झ)	धारा 80छ के अधीन कतिपय निधियों, पूर्त	₹.	枣.	₹.
	संस्थाओं आदि को संदानों के संबंध में कुल कटौती			
(স)	धारा 80ननक के अधीन बचत खाते में जमाओं पर	枣.	रू.	₹.
	ब्याज के संबंध में कटौती			
(ਟ)	अध्याय 6क के किन्ही अन्य उपबंध (धों) के अधीन क			
	धारा	<u></u> 表.	रू. —	<u></u> 表.
	धारा	<u></u> 表.	<u></u> 表.	रू.
	धारा धारा	रू. रू.	<u> </u>	<u>を</u> .
	धारा	<i>表</i> .	<i>表</i> .	表.
	धारा	· ·	र ू.	₹.
		1	1	1

	रु	रु	₹	
अध्याय 6-क के किसी अन्य उपबंध (धों) के अधीन कुल कटौती योग्य रकम	₹	₹	₹	
अध्याय 6-क के अधीन कुल कटौती योग्य रकम			रु	
[10(क)+10(ख)+10(ग)+10(घ)+10(ड.)+10(च)+10(छ)+10(ज)+10				
(झ)+10(ञ)				
10(1)]				
कुल कर योग्य आय (9-11)			रु	
कुल आय पर कर			रु	
घाटा 87क के अधीन रिबेट, यदि लागू हो			रु	
अधिभार, जहां कहीं भी लागू हो			₹	
स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर @4%			रु	
देय कर (13+15+16-14)			रु	
घटाएं :धारा 89 के अधीन अनुतोष (ब्यौरा सलग्न करें)			रु	
शुद्ध देय कर (17-18)			रु	
सत्यापन		•		
मैं,पुत्र/पुत्री		जो (पर	दनाम) की	
हैसियत से कार्य कर रहा /रहीं हूं यह प्रमाणित करता करती हूं कि ऊपर दी ग	ई जानकारी सत्य	, पूर्ण और सही है	है तथा लेखा	
बहियों दस्तावेजों, स्त्रोत पर की कटौती के विवरणों और अन्य उपलब्ध अभिले	खों पर आधारित	ा है ।		
स्थान	(कर की कटौ	ती के लिए उत्तर	दायी व्यक्ति के	
	हस्ताक्षर)			
तारीख	पूरा नाम			
	अध्याय 6-क के किसी अन्य उपबंध (धों) के अधीन कुल कटौती योग्य रकम अध्याय 6-क के अधीन कुल कटौती योग्य रकम [10(क)+10(ख)+10(ग)+10(घ)+10(इ.)+10(च)+10(छ)+10(ज)+10 (झ)+10(ञ) 10(1)] कुल कर योग्य आय (9-11) कुल आय पर कर घाटा 87क के अधीन रिबेट, यदि लागू हो अधिभार, जहां कहीं भी लागू हो स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर @4% देय कर (13+15+16-14) घटाएं :धारा 89 के अधीन अनुतोष (ब्यौरा सलग्न करें) शुद्ध देय कर (17-18) सत्यापन मैं,	अध्याय 6-क के किसी अन्य उपबंध (धों) के अधीन कुल कटौती योग्य रकम अध्याय 6-क के अधीन कुल कटौती योग्य रकम [10(क)+10(ख)+10(ग)+10(घ)+10(ड.)+10(च)+10(छ)+10(ज)+10 (झ)+10(ज) 10(1)] कुल कर योग्य आय (9-11) कुल आय पर कर घाटा 87क के अधीन रिबेट, यदि लागू हो अधिभार, जहां कहीं भी लागू हो स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर @4% देय कर (13+15+16-14) घटाएं :धारा 89 के अधीन अनुतोष (ब्यौरा सलग्न करें) शुद्ध देय कर (17-18) सत्यापन मैं,	अध्याय 6-क के किसी अन्य उपबंध (धों) के अधीन कुल कटौती योग्य रकम अध्याय 6-क के अधीन कुल कटौती योग्य रकम [10(क)+10(ख)+10(ग)+10(घ)+10(ड)+10(च)+10(छ)+10(ज)+10 (झ)+10(ञ) 10(1)] कुल कर योग्य आय (9-11) कुल आय पर कर घाटा 87क के अधीन रिबेट, यदि लागू हो अधिभार, जहां कहीं भी लागू हो स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर @4% देय कर (13+15+16-14) घटाएं :धारा 89 के अधीन अनुतोष (ब्यौरा सलग्न करें) शुद्ध देय कर (17-18) सत्यापन मैं,	

टिप्पण :

- 1. सरकारी कटौतीकर्ता, भाग क के मद 1 में जानकारी भरें यदि कर को आय कर चालान के पेश किए बिना संदत्त किया जाता है और यदि कर की आयकर चालान के साथ संदत्त किया जाता है तो भाग क के मद 2 में जानकारी भरें।
- 2. गैर सरकारी कटौतीकर्ता, भाग क के मद 2 में जानकारी भरें।
- 3. कटौतीकर्ता, आयकर आयुक्त (टीडीएस) का पता प्रस्तुत करेंगे जिसकी अधिकारिता निर्धारिती के टीडीएस विवरणों के विषय में है।
- 4. यदि वर्ष के दौरान, कोई निर्धारिती केवल एक नियोजन के अधीन नियोजित है तो वित्तीय वर्ष की 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए जारी प्रमाणपत्र, प्ररुप सं. 16 में वित्तीय वर्ष की सभी तिमाहियों के लिए जमा और कर कटौती का विवरण होगा।
- 5. (i) यदि वर्ष को दौरान, कोई निर्धारिती एक नियोजक से अधिक नियोजक के अधीन नियोजित है, तो प्रत्येक नियोजक, उस अविध से संबंधित प्ररुप सं. 16 में प्रमाणपत्र का भाग क जारी करेगा जिसके लिए ऐसा निर्धारिती प्रत्येक नियोजक के अधीन नियोजित था।
 - (ii) निर्धारिती के विकल्प पर प्ररुप सं. 16 प्रमाणपत्र का भाग ख (उपबंध) प्रत्येक नियोजक या अंतिम नियोजक द्वारा जारी किया जा सकेगा।
- 6. भाग क के मद 1 और मद 2 में कटौती किए जाने वाले व्यक्ति के बाबत जमा किए गए कर के लिए स्तंभ में कर, अधिभार और स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर की कुल रकम उल्लिखित करें।

7. कटौतीकर्ता भाग ख (उपाबंध) को कर्मचारी को देने से पहले मद संख्या 2(च) और 10(ट) में ब्यौरे, जहां कहीं उपलब्ध हो, सम्यक रुप से भरेगा।";

(iii)) प्ररुप संख्या	24थ में.	"उपाबंध II'	" के लिए	निम्नलिखित	"उपाबंध"	रखा जाएगा.	अर्थात:-
١.		1 2 4 1 11 2 11		3 11 4 3 H	1.1.1	THATTIMA	51143	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	~ા ા ∖્ા

	"उपाबंध II												
	वित्तीय वर्षके दौरान संदत्त या जमा किए गए वेतन और शुद्ध संदेय कर के ब्यौरे												
क्रम	कर्मचारी	कर्मचारी	क्या	कटौती	वर्तमान वित्तीय	(क)धारा	(ख)धारा	(ग) धारा	वर्तमान				
संख्या।	का	का नाम ।	धारा	करने	वर्ष में वर्तमान	17(1) में	17(2) के	17(3) के	नियोजक से				
	स्थायी		115	वाले का	नियोजक के साथ	अंतर्विष्ट	अधीन	अधीन वेतन	प्राप्त सकल				
	खाता		खकग के	प्रकार	प्रारम्भ से	उपबंधो	परिलब्धि	के बदले लाभ	वेतन का कुल				
	संख्या ।		अधीन	(ज्येष्ठ	समाप्ति की	के	का मूल्य	(प्ररुप संख्या	रकम (वेतन				
			कराधान	नागरिक,	तारख तक	अनुसार	(प्ररुप	12 खक के	की परिभाषा				
			चुना	जेष्ठतम	(दिन/माह/वर्ष)।	कुल	12खक के	अनुसार जहां	के लिए				
			गया ?	नागरिक,	,	वेतन ।	अनुसार	कहीं भी लागू	टिप्पण 1				
			[हां/नहीं]	अन्य ।) ।			जहां कहीं	हो) ।	देखें ।				
			[60,481]				भी लागू हो)						
(330)	(331)	(332क)	(332ख)	(333)	(334)	(335)	(336)	(337)	(338)				

अन्य	धारा	धारा	धारा	धारा	धारा	भू-स्वामी	धारा	धारा 10 के अधीन छूट प्राप्त	धारा 16
नियोजक	10(5)	10(10) के	10(10क)	10(10কক)	10	का पैन	10 के	दावा की गई कुल रकम	(iक) के
(कों) से	के	अधीन	के अधीन	के अधीन	(13क)	यदि,	अधीन	(340+341+342+343+344+	अधीन
प्राप्त की	अधीन	मृत्यु-सह-	पेंशन का	छुट्टी वेतन	के	धारा	किसी	346)।	कुल
गई वेतन	रियायत	सेवानिवृत्ति	संराशित	भुनाने के	अधीन	10(13क)	अन्य	3.3),	कटौती ।
की	या	उपदान ।	मूल्य ।	समतुल्य	मकान	के अधीन	छूट		, , , , , ,
रिपोर्ट	सहायता			नकदी ।	किराया	छूट का	की		
की गई	यात्रा ।				भत्ता।	दावा	रकम।		
कुल						किया			
रकम						गया है			
(वेतन						(टिप्पण			
की						3 देखें) ।			
परिभाषा									
के लिए									
टिप्पण 1									
देखें)									
(339)	(340)	(341)	(342)	(343)	(344)	(345)	(346)	(347)	(348)

धारा 16 (ii) के अधीन कुल कटौती।	धारा 16 (iii) अधीन कुल कटौती ।	वेतन [338+339+347 +348+ 349+350] शीर्षक के अधीन प्रभार्य आय ।	धारा 192 (2ख) के अनुसार टी डी एस के लिए प्रस्तावित नियोजक द्वारा रिपोर्ट की गई गृह सम्पत्ति से आय (या अनुज्ञेय हानि)	उधार देने वाले का पैन, यदि धारा 24(ख) के अधीन गृह ऋण पर ब्याज की मांग की गई है (टिप्पण4 देखें)	धारा 192 (2ख) के अनुसार टी डी एस के लिए प्रस्तावित अन्य शीर्ष स्त्रोत के अधीन आय।	सकल कुल आय (351+ 352+ 354)।	धारा 80(ग) के अधीन जीवन बीमा प्रीमिया, भविष्य निधि में योगदान आदि के संबंध में कटौती।	धारा 80 गगग के अधीन कतिपय पेँशन निधि के योगदान के संबंध में कटौती।	धारा 80 गगघ (1) के अधीन अधिसूचित पेशन स्कीम के करदाता द्वारा योगदान के संबंध में कटौती
(349)	(350)	(351)	(352)	(353)	(354)	(355)	(356)	(357)	(358)

धारा 80 गगघ (1ख) के अधीन अधिसूचित पेंशन स्कीम के अधीन संदत्त या जमा रकम के संबंध में कटौती।	धारा 80 गगघ(2) के अधीन अधिसूचित पेंशन स्कीम के अधीन नियोजक द्वारा योगदान के संबंध में कटौती।	धारा 80 घ के अधीन स्वास्थ्य बीमा प्रीमिया के संबंध में कटौती।	धारा 80 ड. के अधीन उच्चतर शिक्षा के लिए, लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती।	धारा 80छ के अधीन कतिपय निधि, पूर्त संस्था आदि के संदान के संबंध में कुल कटौती।	धारा 80 न न क के अधीन बचत खाता में जमा पर ब्याज के संबंध में कटौती।	अध्याय 6- क के किसी अन्य उपबंध(धों) के अधीन कटौती योग्य रकम।	अध्याय 6-क के अधीन कटौती योग्य कुल रकम [356+357+ 358(1,50,000) रु. की सीमा तक) +359 +360 + 361 +362 +363 +364 +365]	कुल कर योग्य आय (355- 366)।	कुल आय पर आय कर।
(359)	(360)	(361)	(362)	(363)	(364)	(365)	(366)	(367)	(368)

धारा 87 क के अधीन रिबेट, यदि लागू हो ।	अधिभार, जहां कहीं भी लागू हो ।	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर।	धारा 89 के अधीन आयकर अनुतोष, जब वेतन आदि बकाया या अग्रिम धन संदत्त कर दिया गया है)	शुद्ध कर दायित्व) [368 + 370 +371 - (369+372)]	संपूर्ण वर्ष के लिए चालू नियोजक द्वारा स्त्रोत पर कटवाए गए कर की कुल रकम [प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में सभी तिमाहियों के लिए उपाबंध 1 के स्तंभ 325 में रकम का योग]	अन्य नियोजक (कों) या कटौतीकर्ता (ओं) द्वारा स्त्रोत पर कटवाए गए कर की रिपोर्ट की गई रकम (वह रकम जिसके संबंध में स्तंभ 339 में संगणित कुल कर योग्य आय में सिम्मलित की गई है)	संपूर्ण वर्ष के लिए स्त्रोत पर कटवाए गए कर की कुल रकम (374 +375)	कर कटौती में कमी (+) या अधिक कर कटौती (-) (373-376)
(369)	(370)	(371)	(372)	(373)	(374)	(375)	(376)	(377)

टिप्पण :

- 1. वेतन, जिसके अंतर्गत मजदूरी, वार्षिकी, पेंशन, उपादान [धारा 10(10) के अधीन छूट प्राप्त से भिन्न] फीस, कमीशन, बोनस, अतिरिक्ति उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 के अधीन जमा की गई रकम का प्रतिसंदाय, परिलब्धि किसी वेतनमान या मजदूरी के लिए लाभ के स्थान पर या इसके अतिरिक्त, जिसके अंतर्गत नियोजन की समाप्ति पर या उसके संबंध में वेतन का अग्रिम, न ली गई छुट्टी की किसी अवधि के बाबत प्राप्त कोई संदाय भी है, [धारा 10(10कक) के अधीन छूट से भिन्न] आय कर अधिनियम, 1961 की चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 6 के अनुसरण में कर के लिए प्रभार्य किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में लेखा का अतिशेष के लिए कोई वार्षिक अनुवृद्धि, आयकर अधिनियम, 1961 की चतुर्थ अनुसूची के भाग क के नियम 2 के उपनियम (4) के अनुसरण में कर्मचारी द्वारा प्राप्त कोई रकम आय समझी जाएगी, धारा 80 गगघ में निर्दिष्ट पेंशन स्कीम के अधीन कर्मचारी के खाते में केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया कोई अभिदाय या वेतन शीर्ष के अधीन आयकर के लिए प्रभार्य कोई अन्य रकम।
- 2. जहां कोई नियोजक किसी कर्मचारी को संदत्त परिलब्धियों से कटौती करता है या किसी अनुमोदित अधिवार्षिकी की निधि के लिए कर्मचारी के किन्हीं अभिदायो का उसकी ओर से संदाय करता है वहां ऐसी सभी कटौतियों या संदाय विवरण में शामिल किया जाना चाहिए।
- भू-स्वामी का स्थायी खाता संख्या दिया जाना आज्ञापक होगा जहां पिछले वर्ष के दौरान एक लाख रुपए से अधिक कुल किराया संदत्त किया गया है।

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 9

4. उधार देने वाले का स्थायी खाता संख्या दिया जाना आज्ञापक होगा जहां आवासीय ऋण जिस पर ब्याज संदत्त कर दिया गया है, वित्तीय संस्थान या नियोजक से अन्यथा व्यक्ति से लिया गया है।"।

[अधिसूचना सं. 15/2021/फा.सं.370142/04/2019-टीपीएल]

अंकित जैन, अवर सचिव, (कर नीति और विधायन)

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) द्वारा अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969 (अ) तारीख 26 मार्च, 1962 में प्रकाशित किया गया और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्यांक सा.का.िन. सं. 162(अ), तारीख 09 मार्च, 2021 को किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2021

- **G.S.R. 170(E).** —In exercise of powers conferred by sections 200 and 203 read with section 295 of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—
- **1. Short title and commencement** (1) These rules may be called the Income-tax (3rd Amendment) Rules, 2021.
 - (2) They shall come into force on the 1st day of April, 2021.
- 2. In the Income-tax Rules, 1962, in Appendix II,-
 - (i) For Form No. 12BA, the following shall be substituted, namely:-

"FORM NO. 12BA

[See rule 26A(2)(b)]

Statement showing particulars of perquisites, other fringe benefits or amenities and profits in lieu of salary with value thereof

1.	Name and address of employer	:	
2.	TAN	:	
3.	TDS Assessment Range of the employer	:	
4.	Name, designation and Permanent Account Number of employee	er or Aadhaar Number :	
5.	Is the employee a director or a person with the company (where the employer is a company)	hsubstantial interest in :	
6.	Income under the head "Salaries" of the employe (other than from perquisites)	e :	
7.	Financial year	:	
8.	Valuation of Perquisites	:	

S. No.	Nature of perquisites (see rule 3)	Value of perquisite as per rules (Rs.)	Amount, if any, recovered from the employee (Rs.)	Amount of perquisite chargeable to tax Col. (3) - Col. (4) (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Accommodation			
2.	Cars/Other automotive			
3.	Sweeper, gardener, watchman or personal attendant			
4.	Gas, electricity, water			
5.	Interest free or concessional loans			
6.	Holiday expenses			
7.	Free or concessional travel			
8.	Free meals			
9.	Free education			
10.	Gifts, vouchers, etc.			
11.	Credit card expenses			
12.	Club expenses			
13.	Use of movable assets by			
1.1	employees			
14.	Transfer of assets to employees			
15.	Value of any other			
1.0	benefit/amenity/service/privilege			
16.	Stock options allotted or transferred by employer being an			
	eligible start-up referred to in			
	section 80-IAC.			
17.	Stock options (non-qualified			
	options) other than ESOP in col 16 above.			
18.	Contribution by employer to			
	fund and scheme taxable under			
19.	section 17(2)(vii). Annual accretion by way of			
1).	interest, dividend etc. to the			
	balance at the credit of fund and			
	scheme referred to in section			
	17(2)(vii) and taxable under section 17(2)(viia).			
20.	Other benefits or amenities			
21.	Total value of perquisites			
22.				
	Total value of profits in lieu of salary as per section 17(3)			
	saidly as per section 17(3)		1	

9)	Details of ta	.x,—
	(a)	Tax deducted from salary of the employee under section 192(1

- Tax paid by employer on behalf of the employee 192(1A) (b)
- (c)
- Total tax paid
 Date of payment into Government treasury (d)

ployee under section	
,	

DECLARATION BY EMPLOYER

I,, s/o	working as	(designation) d	lo hereby	declare on	behalf of
(name of the employer) that	at the information given	above is based on	the books	of account,	documents
and other relevant records or information	available with us and	the details of valu	e of each	such perqui	site are in
accordance with section 17 and rules frame	ed thereunder and that su	uch information is t	rue and co	rrect.	

Place Full Name
Date Designation

Signature of the person responsible for deduction of tax.";

(ii) In Form No. 16, for Part B (Annexure), the following shall be substituted, namely:-

"PART B (Annexure)

	Details of Salary Paid and any other	income an	d tax deduc	eted
A	Whether opting for taxation u/s 115BAC?		[YES/NC	
1.	Gross Salary			
(a)	Salary as per provisions contained in section 17(1)		Rs	
(b)	Value of perquisites under section 17(2) (as per Form No. 12BA, wherever applicable)		Rs	
(c)	Profits in lieu of salary under section 17(3) (as per Form No. 12BA, wherever applicable)		Rs	
(d)	Total			Rs
(e)	Reported total amount of salary received from other employer(s)		Rs	
2.	Less: Allowances to the extent exempt under section 10			
(a)	Travel concession or assistance under section 10(5)		Rs	
(b)	Death-cum-retirement gratuity under section 10(10)		Rs	
(c)	Commuted value of pension under section 10(10A)		Rs	
(d)	Cash equivalent of leave salary encashment under section 10(10AA)		Rs	
(e)	House rent allowance under section 10(13A)		Rs	
(f)	Amount of any other exemption under section 10			
	clause	Rs		
		Rs		
(g)	Total amount of any other exemption under section 10		Rs	
(h)	Total amount of exemption claimed under section 10 $[2(a)+2(b)+2(c)+2(d)+2(e)+2(g)]$			Rs
3.	Total amount of salary received from current employer [1(d)-2(h)]			Rs
4.	Less: Deductions under section 16	•	•	•
(a)	Standard deduction under section 16(ia)		Rs	
(b)	Entertainment allowance under section 16(ii)		Rs	
(c)	Tax on employment under section 16(iii)		Rs	
5.	Total amount of deductions under section 16 $[4(a)+4(b)+4(c)]$			Rs
6.	Income chargeable under the head "Salaries" [(3+1(e)-5]			Rs
7.	Add: Any other income reported by the employee under as	per section	192 (2B)	
(a)	Income (or admissible loss) from house property reported by employee offered for TDS		Rs	

(b)	Income under the head Other Sources offered for TDS		Rs	
8.	Total amount of other income reported by the employee $[7(a)+7(b)]$			Rs
9.	Gross total income (6+8)			Rs
10.	Deductions under Chapter VI-A			
			Gross Amount	Deductible Amount
(a)	Deduction in respect of life insurance premia, contributions to provident fund etc. under section 80C		Rs	Rs
(b)	Deduction in respect of contribution to certain pension funds under section 80CCC		Rs	Rs
(c)	Deduction in respect of contribution by taxpayer to pension scheme under section 80CCD (1)		Rs	Rs
(d)	Total deduction under section 80C, 80CCC and 80CCD(1)		Rs	Rs
(e)	Deductions in respect of amount paid/deposited to notified pension scheme under section 80CCD (1B)		Rs	Rs
(f)	Deduction in respect of contribution by Employer to pension scheme under section 80CCCD (2)		Rs	Rs
(g)	Deduction in respect of health insurance premia under section 80D		Rs	Rs
(h)	Deduction in respect of interest on loan taken for higher education under section 80E		Rs	Rs
		Gross Amount	Qualifying Amount	Deductible Amount
(i)	Total Deduction in respect of donations to certain funds, charitable institutions, etc. under section 80G	Rs	Rs	Rs
(j)	Deduction in respect of interest on deposits in savings account under section 80TTA	Rs	Rs	Rs
(k)	Amount deductible under any other provision(s) of Chapter	VI-A	l	
	section	Rs	Rs	Rs
	section	Rs	Rs	Rs
	section	Rs	Rs	Rs
	section	Rs	Rs	Rs
	section	Rs	Rs	Rs
	section	Rs	Rs	Rs
		Rs	Rs	Rs
(1)	Total of amount deductible under any other provision(s) of Chapter VI-A	Rs	Rs	Rs
11.	Aggregate of deductible amount under Chapter VI-A [10(a)+10(b)+10(c)+10(d)+10(e)+10(f)+10(g)+10(h)+10(i) 10(j)+10(l)]			Rs
12.	Total taxable income (9-11)			Rs
13.	Tax on total income			Rs
				Rs
14.	Rebate under section 87A, if applicable			100
14. 15.	Rebate under section 87A, if applicable Surcharge, wherever applicable			Rs

17.	Tax payable (13+15+16-14)			Rs		
18.	Less: Relief under section 89 (attach details)			Rs		
19.	Net tax payable (17-18)			Rs		
	Verification					
	, son/daughter of	fy that the inform	ation given a	above is true, complete and		
Plac	e	(Signature of person responsible for deduction of tax)				
Date	2	Full Name:				

Notes:

- 1. Government deductors to fill information in item I of Part A if tax is paid without production of an income-tax challan and in item II of Part A if tax is paid accompanied by an income-tax challan.
- 2. Non-Government deductors to fill information in item II of Part A.
- 3. The deductor shall furnish the address of the Commissioner of Income-tax (TDS) having jurisdiction as regards TDS statements of the assessee.
- 4. If an assessee is employed under one employer only during the year, certificate in Form No. 16 issued for the quarter ending on 31st March 2021 of the financial year shall contain the details of tax deducted and deposited for all the quarters of the financial year.
- 5. (i) If an assessee is employed under more than one employer during the year, each of the employers shall issue Part A of the certificate in Form No. 16 pertaining to the period for which such assessee was employed with each of the employers.
- (ii) Part B (Annexure) of the certificate in Form No.16 may be issued by each of the employers or the last employer at the option of the assessee.
- 6. In Part A, in items I and II, in the column for tax deposited in respect of deductee, furnish total amount of tax, surcharge and health and education cess.
- 7. Deductor shall duly fill details, where available, in item numbers 2(f) and 10(k) before furnishing of Part B (Annexure) to the employee.";

(iii) in Form No. 24Q, for "Annexure II", the following Annexure shall be substituted, namely:-

	"Annexure II								
	Details of salary paid or credited during the financial yearand net tax payable								
iumber.		Name of the employee.	opting for taxation	type (Senior Citizen, Super Senior Citizen,	Date from and date up to employed with current employer in the current financial year (dd/mm/yyyy).	Salary as per provisions contained in section 17(1).	perquisites under section 17(2) (as per FormNo.12BA, wherever	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) (as per Form No.12BA, wherever applicable).	Total amount of gross salary received from current employer (see Note 1 for definition of Salary).
(330)	(331)	(332A)	(332B)	(333)	(334)	(335)	(336)	(337)	(338)

Reported	Travel	Death-	Commuted	Cash	House rent	PAN of	Amount	Total amount of	Total
total	concession	cum-	value of	equivalent	allowance	landlord, if	of any	exemption claimed	deduction
amount of	or	retirement	pension	of leave	under	exemption	other	under section 10	under
salary	assistance	gratuity	under	salary	section	is claimed	exemption	(340+341+342+343	section
received	under	under	section	encashment	10(13A).	under	under	+344+346).	16(ia).
from other	section	section	10(10A).	under		section	section 10.		
employer(s)	10(5).	10(10).		section		10(13A)			
(see Note 1				10(10AA).		(see Note			
for						3).			
definition									
of Salary).									
(339)	(340)	(341)	(342)	(343)	(344)	(345)	(346)	(347)	(348)

Total deduction under section 16(ii).		head	(or admissible loss) from house property	interest on	Income under the head other sources offered for TDS	income	* '	contribution to certain	Deduction in respect of contribution by taxpayer to notified pension
		349+350)].	by employee	section	as per section 192 (2B).				scheme under section 80CCD(1)
(349)	(350)	(351)	(352)	(353)	(354)	(355)	(356)	(357)	(358)

Deduction in	Deduction in	Deducti	Deduction in	Total	Deduction	Amount	Total amount deductible	Total	Income-
respect of	respect of	on in	respect of	deduction in	in respect of	deductible	under Chapter VI-A	taxable	tax on
amount paid	contribution by	respect	interest on	respect of	interest on	under any	[356+357+358 (limited	income	total
or deposited	employer to	of health	loan taken	donations to	deposits in	other	to Rs. 1,50,000) +359	(355-366)	income.
under	notified	insuranc	for higher	certain	savings	provision	+360+361+362+363+36		
notified	pension	e premia	education	funds,	account	(s) of	4+365].		
pension	scheme under	under	under	charitable	under	Chapter			
scheme	section 80CCD	section	section 80E.	institutions,	section	VI-A.			
under section	(2).	80D.		etc. under	80TTA.				
80CCD(1).				section 80G.					
(359)	(360)	(361)	(362)	(363)	(364)	(365)	(366)	(367)	(368)

Rebate	Surcharge,	Health	Income-tax	Net tax liability	Total amount of tax	Reported amount	Total	Shortfall in
under	wherever	and	relief under	[368+370+371-	deducted at source	of tax deducted at	amount of	tax deduction
section	applicable.	education	section 89,	(369+372)].	by the current	source by other	tax	(+) or excess
87A, if		cess.	when		employer for the	employer(s) or	deducted at	tax deduction
applicable.			salary, etc.		whole year	deductor(s)		(-) (373-
			is paid in		[aggregate of the	(income in respect		376).
			arrear or			of which included	-	
			advance.			in computing total	(374+375).	
					for all the quarters	taxable income in		
					in respect of each	column 339).		
					employee].			
(369)	(370)	(371)	(372)	(373)	(374)	(375)	(376)	(377)
			·					

Notes:

- 1. Salary includes wages, annuity, pension, gratuity (other than exempted under section 10(10), fees, commission, bonus, repayment of amount deposited under the Additional Emoluments (Compulsory Deposit) Act, 1974 (37 of 1974), perquisites, profits in lieu of or in addition to any salary or wages including payments made at or in connection with termination of employment, advance of salary, any payment received in respect of any period of leave not availed (other than exempted under section 10 (10AA), any annual accretion to the balance of the account in a recognised provident fund chargeable to tax in accordance with rule 6 of Part A of the Fourth Schedule of the Income-tax Act, 1961, any sums deemed to be income received by the employee in accordance with sub-rule (4) of rule 11 of Part A of the Fourth Schedule of the Income-tax Act, 1961, any contribution made by the Central Government to the account of the employee under a pension scheme referred to in section 80CCD or any other sums chargeable to income-tax under the head 'Salaries'.
- 2. Where an employer deducts from the emoluments paid to an employee or pays on his behalf any contributions of that employee to any approved superannuation fund, all such deductions or payments should be included in the statement.
- 3. Permanent Account Number of landlord shall be mandatorily furnished where the aggregate rent paid during the previous year exceeds one lakh rupees.
- 4. Permanent Account Number of lender shall be mandatorily furnished where the housing loan, on which interest is paid, is taken from a person other than a Financial Institution or the Employer.".

[Notification No. 15/2021/F.No. 370142/04/2019-TPL]

ANKIT JAIN, Under Secy. (Tax Policy and Legislation)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 969(E) dated the 26th of March, 1962 and were last amended *vide* notification number G.S.R No. 162(E) dated the 09th of March, 2021.